उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ

(सिन नं0–U32201UP1999SGC024928)

संख्याः 750–स0प्र0–11/पाकालि/2023–02–स0प्र0/2023 दिनांक 24 मार्च, 2023

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल,
वि0वि0नि0लि0 एवं केस्को,
लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा एवं कानपुर।

विषयः कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–395–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2021–02–काविनी/2021, दिनांक 30.04.2021 के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण।

महोदय,

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–395–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2021–02–काविनी/2021, दिनांक 30.04.2021 के अनुक्रम में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:–

1. कार्यालय ज्ञाप सं0–395–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/21, दिनांक 30.04.2021 के माध्यम से प्रतिपादित की गई व्यवस्था आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी है।
2. कार्यालय ज्ञाप सं0–395–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2021–02–काविनी/21 दिनांक 30.04.2021 के **प्रस्तर–(ब)** में उल्लिखित प्राविधानानुसार राज्य विद्युत परिषद द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद कर्मचारी सहकारी समिति लि0 से क्रय किये गये रू0 02 लाख के शेयर की धनराशि एवं उस पर अब तक देय लाभांश (Dividend) का आगणन कर उसकी सम्पूर्ण धनराशि बारह समान किस्तों में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद कर्मचारी सहकारी समिति लि0 से प्राप्त कर कारपोरेशन के बैंक खाते में जमा किये जाने की कार्यवाही उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0 के स्तर से करते हुए, तदनुसार उच्च प्रबन्धन को अवगत कराया जायेगा।
3. कार्मिकों द्वारा दिनांक 30.04.2021 से पूर्व लिये गये ऋण की वसूली हेतु सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित सहकारी समिति को कार्मिकों की सूची, जिनको पूर्व में आवंटित ऋण की वसूली अद्यतन शेष है, एक माह में तैयार कराये जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
4. सहकारी समिति द्वारा प्रेषित सूची में कार्मिक का नाम, उनके वर्तमान तैनाती स्थल, SAP ID, विगत माह का सकल वेतन एवं मासिक कटौती की दर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त सूचना हेतु सहकारी समिति सम्बन्धित कार्मिक अथवा उसके अधिष्ठान से सूचना प्राप्त कर सकेंगी।

(क्रमशः ....2)

5. कार्मिकों से शेष ऋण की कटौती 12 मासिक किस्तों में की जायेगी। यदि किसी कार्मिक की मासिक किस्त उनको देय सकल वेतन के 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक होती है, तो उक्त प्रकरण में मासिक किस्त 50% (पचास प्रतिशत) तक ही रखी जायेगी तथा कटौती की अवधि तद्नुसार बढ़ा दी जायेगी।

6. सहकारी समिति कार्मिकों की सूची मासिक किस्त की राशि का उल्लेख करते हुए अन्य समस्त विवरण सहित, सम्बन्धित कार्मिक के आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगी। किन्तु जब तक सहकारी समितियों द्वारा संशोधित किस्तों का आगणन कर सम्बन्धित कार्मिक के आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रेषित नहीं कर दिया जाता है तब तक उन कार्मिकों के वेतन से पूर्व में की जा रही कटौती को यथावत जारी रखा जायेगा।

7. वेतन का भुगतान ERP Software के माध्यम से होने के पश्चात् सम्बन्धित भुगतान इकाई द्वारा सहकारी समिति के मद में प्राप्त राशि को सम्बन्धित समिति के खाते में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। इस प्रकार सहकारी समितियों के माध्यम से कारपोरेशन के कार्मिकों को दिनांक 30.04.2021 से पूर्व दिये गये ऋण को समाप्त कर दिया जायेगा।

8. कार्यालय ज्ञाप सं0–395–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2021–02–काविनी/21 दिनांक 30.04.2021 एवं इस क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण आदेश के निर्गमन की तिथि के मध्य सहकारी समितियों के ऐसे बकायेदार सदस्य जो कारपोरेशन की सेवा से सेवानिवृत्त, पदच्युत, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत हो चुके हैं, जिनके समस्त सेवा सम्बन्धी देयों का भुगतान कारपोरेशन द्वारा किया जा चुका है, के मामलों में उक्त के दृष्टिगत समिति के बकाये ऋण की वसूली की जिम्मेदारी किसी भी स्थिति में कारपोरेशन की नहीं होगी। उक्त की प्रत्याप्ति सहकारी समितियां स्वयं अपने स्तर से करेंगी।

9. कार्यालय ज्ञाप सं0–395–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2021–02–काविनी/21 दिनांक 30.04.2021 एवं इस क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण आदेश के निर्गमन की तिथि के पश्चात् कारपोरेशन की सेवा से सेवानिवृत्त, पदच्युत, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त, स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत होने वाले ऐसे कार्मिक जिन्होने दिनांक 30.04.2021 से पूर्व किसी भी सहकारी समिति अथवा समितियों से उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से सहमति **(Undertaking)** प्राप्त किये जाने के उपरान्त ऋण लिया हुआ है, के सेवा सम्बन्धी देयों के भुगतान हेतु सहकारी समितियों से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता पूर्व की भाँति यथावत हो जायेगी।

10. स्पष्टीकरण आदेश के निर्गतोपरान्त कारपोरेशन के कार्मिकों के वेतन से ऋण की वसूली के लेखांकन का कार्य, जो कि कारपोरेट एकाउन्ट के पुष्टिकृत Head के माध्यम से पूर्व में किया जा रहा था, को पुनः प्रारम्भ किया जायेगा।

(क्रमशः ....3)

11. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी सहकारी समिति लि0, शक्ति भवन (मुख्यालय) को शक्ति भवन परिसर में अस्थायी रूप से आवंटित किये गये कक्ष के आवंटन को कारपोरेशन कार्यहित में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–1642–सप्रवि–26/पाकालि/22–01–सप्रवि/2000 दिनांक 08.07.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा चुका है, को यथावत् निरस्त रखते हुए भविष्य में किसी भी दशा में किसी भी सहकारी समिति का कार्यालय शक्ति भवन परिसर में नहीं रहेगा और न ही भविष्य में इन्हें शक्ति भवन परिसर में स्थान का आवंटन किया जायेगा।

भवदीय,

(मृगांक शेखर दाश भट्टमिश्र)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः 750(i) स0प्र0–11/पाकालि/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0/उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/जल विद्युत निगम लि0 के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
5. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।
8. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. सचिव, उ0प्र0 राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. उप सचिव, स0प्र0 (लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0।
13. उ0प्र0पा0का0लि0 एवं सहयोगी वितरण कम्पनियों के कार्मिकों को ऋण प्रदान करने वाली समस्त सहकारी समितियाँ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाईट **www.uppcl.org** पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

Chandra 24/3/23

(राम चन्द्र)
संयुक्त सचिव (स0प्र0)